

मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर, 2000 (कार्तिक 26, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 8 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक (49)-बी-5-14-99-वा.कर-पांच, दिनांक 18 सितम्बर, 2000 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती सविता दीवान शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी के माध्यम से वितरित की जाने वाली दवाओं के वितरण में लापरवाही होने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(3) श्री मुंशीलाल, सदस्य, चंबल संभाग के कुछ जिलों में गौद के खरीददारों द्वारा आदिवासियों का शोषण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री अजय विश्णोई, हरीशंकर जायसवाल, सदस्य, जबलपुर जिले के सिहोरा में पुलिस द्वारा आन्दोलनकारियों पर लाठी चार्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इन्दौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण से भूमि खरीदी में अनियमितता की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्रीमती यशोधराराजे सिंधिया, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले में उत्खनन कार्य बन्द होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लक्ष्मण सिंह गौड़, कमल पटेल, सदस्य, शिवपुरी जिले के करेरा क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त पेयजल से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, बृजमोहन बन्नीनारायण, सदस्य, देवास जिले के ग्राम खेड़ाखाल में एक आदिवासी की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लाल सिंह, सुनील नायक, सदस्य, टीकमगढ़ में एक महिला सहित तीन बच्चों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री कंकर मुंजारे, नरेन्द्र बिरथरे, लाल सिंह, सदस्य, बालाघाट एवं शिवपुरी जिले में जहरीली शराब पीने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, ग्वालियर शहर में फर्जी विद्युत बिल जारी होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लाल सिंह, हिम्मत कोठारी, सदस्य, भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र स्थित भूमि के हस्तान्तरण में भ्रष्टाचार होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लाल सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, सिवनी जिले के घुंसीर में हुई डकैती के अपराधी न पकड़े जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के कुछ ग्रामों में विद्युत प्रदाय बंद किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री राजमणि पटेल, सदस्य, नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

(1) श्री लाल सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक, जो 60 वर्ष की उम्र से अधिक हो, को प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयां शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाय".

(2) श्री तेजसिंह सेधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि देवास में आरंभ की गई भू-जल संवर्धन मिशन के तहत रूफवाटर हारवेस्टिंग तकनीक प्रदेश के समस्त जिलों में जन सहयोग से लागू की जाय".

(3) श्री सईद अहमद, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि हेपेटाइटिस बीमारी की रोकथाम हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिला चिकित्सालय में टीकाकरण का प्रावधान किया जाय".

के.पी. तिवारी
सचिव,

भोपाल :
दिनांक : 16 नवम्बर, 2000

मध्यप्रदेश विधान सभा.